प्रेस विज्ञप्ति
18/06/2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के उल्लंघन के मामले में मेसर्स सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड तथा श्री सी. वी. सुब्रमण्यम के संबंध में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड तथा इसके प्रबंध निदेशक श्री सी. वी. सुब्रमण्यम के प्रकरण में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एवं उसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध फेमा, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपाउंडिंग उल्लंघनों के संबंध में चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पारित किया गया है।

इस प्रकरण में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच प्रारंभ की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया। तत्पश्चात कंपनी एवं इसके प्रबंध निदेशक द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत संबंधित उल्लंघनों के कंपाउंडिंग हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक से संदर्भ प्राप्त होने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिनियम की मंशा के अनुरूप उक्त कंपाउंडिंग हेतु अनापत्ति प्रदान की गई। तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनों का कंपाउंडिंग किया है—

• अधिसूचना संख्या फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची-1 के पैरा 8, 9(1)(ख) एवं पैरा 9(2) के प्रावधानों का उल्लंघन।
• अधिसूचना संख्या फेमा 20आर/2017-आरबी के विनियम 13.1(3) का उल्लंघन।

• अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी के विनियम 4(1) का उल्लंघन।

मेसर्स सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा ₹13,82,592/- तथा इसके प्रबंध निदेशक श्री सी. वी. सुब्रमण्यम द्वारा ₹1,38,259/- की एकमुश्त राशि के भुगतान पर कंपाउंडिंग की गई है। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त शमित उल्लंघनों के संबंध में कंपनी एवं उसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लंबित न्यायनिर्णयन कार्यवाही तथा उससे संबंधित अन्य विधिक कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं।